

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड, पिन-834002, Email-ppcf-ednodal@gov.in

पत्रांक :- 816

राँची, दिनांक :- 18/8/2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय:- गढ़वा जिला अंतर्गत 'Improvement of Curves and Sagety Traffic Calming Measures at Annraj Ghati. के निर्माण हेतु कुल 0.1404 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव सं० FP/Jh/Road/123042/2021 के संबंध में।

प्रसंग :- वन विभागीय पत्रांक 1600 दिनांक 08.06.2022

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रांसगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना "Improvement of Curves and Sagety Traffic Calming Measures at Annraj Ghati" के निर्माण हेतु कुल 0.1404 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव संख्या FP/Jh/Road/123042/2021 पर वन विभागीय पत्रांक 1600 दिनांक 08.06.2022 द्वारा कुल दो बिन्दुओं पर प्रतिवेदन की मांग की गयी थी।

विभाग द्वारा वांछित प्रतिवेदन वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, गढ़वा के पत्रांक 508 दिनांक 03.08.2022 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 997 दिनांक 18.08.2022 द्वारा प्राप्त हुआ है। वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, गढ़वा एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के प्रतिवेदनानुसार विभाग द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत् है:-

क्र०सं०	पृच्छाए	निराकरण
1.	FRA के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित Linear Projects संबंधी प्रपत्र में प्रमाण-पत्र।	FRA 2006 के तहत संबंधित उपायुक्त गढ़वा के पत्रांक 03 दिनांक 16.07.2022 द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित Linear Projects संबंधी प्रपत्र Form-I में प्राप्त प्रमाण-पत्र संलग्न। अनु०-01
2	CWLW का मंतव्य।	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 997 दिनांक 18.08.2022 द्वारा प्राप्त मंतव्य संलग्न। अनु०-02

वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, गढ़वा एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की तीन प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुये अनुरोध है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव हेतु कुल 0.1404 हे० वनभूमि अपयोजन के लिए स्टेज-1 स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), झारखण्ड, राँची का वर्तमान में पद रिक्त रहने के कारण अनुपालन प्रतिवेदन सीधे राज्य सरकार को अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जा रहा है।

अनु०-यथोक्त।

अनुपालन प्रतिवेदन तीन-तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।


18.8.22



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी एवं
मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक झारखण्ड

वन भवन, डोरण्डा, रांची-834002

Email : pccf-wildlife@gov.in, Phone No. 0651-2481744



पत्रांक- 997

दिनांक- 18/08/2022

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची।

विषय:- गढ़वा जिलान्तर्गत Improvement of Curves and Safety Traffic Calming Measures at Annraj Ghati के निर्माण हेतु 0.1404 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव सं0 FP/JH/Road/123042/2021 के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- आपका जापांक 408 दिनांक 13.05.2022 एवं पत्रांक 750 दिनांक 04.08.2022

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक पत्र के संदर्भ में वन भूमि अपयोजनार्थ समर्पित प्रस्ताव के तहत क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर का पत्रांक 1662 दिनांक 12/08/2022 (छायाप्रति संलग्न) एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल के जापांक 1511 दिनांक 10.08.2022 द्वारा समर्पित मंतव्य से सहमत होते हुए अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य निम्नवत है:-

“प्रोजेक्ट हेतु 0.1404 हे0 वनभूमि का प्रस्तावित अपयोजन Curve के Gradient के मात्र Improvement हेतु किया जा रहा है ताकि भविष्य में कोई दुर्घटना ना घटे। अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का रकबा का क्षेत्रफल भी बहुत ही नगण्य है। अतः प्रस्तावित परियोजना से वन्यप्राणी पर दुष्प्रभाव पडने की नगण्य संभावना होने के परिप्रेक्ष्य में उक्त परियोजना में वन्यप्राणी प्रबंधन योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है।”

दिनांक: 21/08/2022



aminuddin

urgent

18/08/2022

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी
एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड

142-01

कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा।

पत्रांक :- 508 गढ़वा/दिनांक :- 03.08.2022

प्रेषक,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, गढ़वा।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-
कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

गढ़वा जिला अंतर्गत Improvement of Curves and Safety Traffic Calming Measures at Anraj Ghati के निर्माण हेतु कुल 0.1404 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव सं०-FP/JH/123042/2021 के संबंध में।

- विषय :-
1998
05/8/2022
प्रसंग :-
- (1) झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र संख्या-वन भूमि-17/2022-1600 व०प०, राँची, दिनांक-08.06.2022
 - (2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक-488 दिनांक-10.06.2022
 - (3) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर का ज्ञापांक-1233 दिनांक-13.06.2022
 - (4) वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल का पत्रांक-1464 दिनांक-03.08.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र संदर्भ में विषयक परियोजना के मामले में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल का पत्रांक-1464 दिनांक-03.08.2022 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन 07 (सात) प्रतियों में समर्पित की गई है, जिसकी 05 (पाँच) प्रतियाँ इस पत्र के साथ अत्र-सह संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

Rajendra

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, गढ़वा।

3.8.2022



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मेदिनीनगर


जेलहाता, रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक, डालटनगंज, जिला-पलामू-822101

Ph. No. 06562- 231237, E-mail Id- eenhmedini-jhr@nic.in, eenhmedini@gmail.com

पत्रांक 369 (अनु0)....., दिनांक 28-07-2022

2
30-7-22 प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल,
मेदिनीनगर।



सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल,
गढ़वा।

विषय: गढ़वा जिला अन्तर्गत Improvement of Curves and Safety Traffic Calming Measures at Annraj Ghati के निर्माण हेतु कुल 0.1404 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव सं0-FP/JH/123042/2021 के सम्बन्ध में।

प्रसंग: आपका पत्रांक 1125 गढ़वा, दिनांक 20.06.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि उपायुक्त-सह-अध्यक्ष जिला स्तरीय FRA समिति, गढ़वा के ज्ञापांक सं0-03 दिनांक 16.07.2022 के द्वारा FRA, Linear Projects संबंधी प्रपत्र (Form-I) में निर्गत किया गया है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रत्तर कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

Divisional Forest Officer
Garhwa North Division

कार्यपालक अभियंता,
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल,
मेदिनीनगर।

313-01

Form-I
(For linear projects other than Plantations)
(Rule 6(3)(e) of forest (conservation) Rules 2003 as amended up to date)

Government of Jharkhand

Office of District Collector, Garhwa

No...03.....Dated...16.7.2022

To WHOMSOEVER IT, MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6(3)(e) of forest (conservation) Rules 2003 as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014, Forest (conservation) second Amendment Rules 2014; and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016) it is certified that 0.1404 hectares of forest land Proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, NH Division, Medininagar, Jharkhand (name of user agency) for improvement of curve and gradient of NH-343, Ch-146 km. (purpose for diversion of forest land) in the Garhwa district falls within the jurisdiction of Nawadih village in Garhwa tehsils. It is further certified that:


- (a) the complete process of recognition and vesting of forest rights under the FRA has been carried out for the entire 0.1404 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and the District Level Committee are enclosed as attachment.
 - (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA, 2006 have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
 - (c) The proposed area does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre Agricultural Communities.
- Encl. As above.


30/

Deputy Commissioner,
Cum
Chairman, District Level FRA Committee
Garhwa

Memo No. 03/17 Dated ...16/7/22

1. Circle officer, Garhwa for information on & necessary action.
2. Sub Divisional Officer, Garhwa for information & necessary action.
3. Additional Collector, Garhwa for information & necessary action.
4. Executive Engineer, 343, National Highway Road division Medininagar, Palamu for information & necessary action.
5. District Forest Officer North Division Garhwa for information & necessary action.
6. Commissioner Palamu Division Medaninagar for information & necessary action.
7. Special Secretary to Government Revenue and Land Reform Dep. Jharkhand Ranchi for information & necessary action.
8. Secretary to Government welfare dep. Jharkhand Ranchi for information on & necessary action.


Divisional Forest Officer
Garhwa North Division


Deputy Commissioner,
Cum
Chairman, District Level FRA Committee
Garhwa